कार्यालय,जिला शिक्षा अधिकारी जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

कमॉक/स्था–1/2019/ 3706 टीकमगढ़, दिनांक 19.2.19

प्रति,

प्राचार्य,
शास.उ.मा.वि./हाईस्कूल समस्त संकुल जिला –टीकमगढ़

विषयः– छात्र/छात्राओं की जन्मतिथि में सुधार किये जाने के संबंध में ।

–00–

उपरोक्त विषयांकित के संबंध में लेख है कि आपके संकुल अन्तर्गत संचालित प्राथमिक शालाओं एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत छात्रों के माता–पिता अपने बच्चों की जन्मतिथि सुधार हेतु प्रायः जनसुनवाई एवं इस कार्यालय में अभिभावकगण अपने बच्चे की जन्म तिथि में सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे है। जनसुनवाई में अधिक मात्रा में अभिभावक उपस्थित होने के कारण कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है।

मध्यप्रदेश जन्म तिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम 1973 में बालक/बालिका की जन्म तिथि पाठशाला के रजिस्टर में दर्ज करने, जन्म तिथि संबंधी प्रविष्टि, जन्म तिथि में सुधार करने का प्रावधान किया गया है। अतः आपको उक्त प्रकिया अनुसार कार्यवाही कर सही पाये जाने पाये प्रकरण इस कार्यालय में समय सीमा में प्रस्तुत करे, ध्यान रहे यदि आपके संकुल अन्तर्गत कोई भी अभिभावक बच्चों की जन्म तिथि सुधार के संबंध में इस कार्यालय या जनसुनवाई में उपस्थित होता है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

19/2/19

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

पृ.क./स्था–1/2019/ 3707 टीकमगढ़, दिनांक 19.2.19
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर टीकमगढ़ म.प्र. ।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी समस्त जिला टीकमगढ़ म.प्र. ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–टीकमगढ़ म.प्र.

संस्था के प्रधान को एक आवेदन-पत्र भेजेगा। लेखा संबंधी अशुद्धि के मामले में संस्था का प्रधान अभिभावक की मूल घोषणा के अनुसार प्रविष्टियों में सुधार करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और अभिभावक को तदनुसार सूचित करेगा।

52. जन्म तारीख में परिवर्तन— मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग क्रमांक 7513-202963-0-2, दिनांक 21 अप्रैल, 1964 में वर्णित नियम लागू होंगे।

टिप्पणी

1964 के नियमों को निरस्त किया जाकर उनके स्थान पर 1973 के नियम प्रभावशील हैं।

मध्यप्रदेश जन्म तिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम, 1973

क्रमांक 2294-बीस-2-73— राज्य शासन इस विषय पर पूर्व में बनाये गये या जारी किये गये समस्त नियमों, आदेशों तथा अनुदेशों को, निष्प्रभावी करते हुये, एतद्द्वारा किसी बालक/बालिका की जन्मतिथि पाठशाला के रजिस्टर में दर्ज करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम— ये नियम "मध्यप्रदेश जन्म तिथि (पाठशाला के रजिस्टर में प्रविष्टि) नियम, 1973" कहलायेंगे।

2. परिभाषाएँ— इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुमोदित पाठशाला" से तात्पर्य ऐसी किसी भी शाला से है, जो पूर्व माध्यमिक अथवा प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती हो, और जो—

(एक) राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंध के अधीन हो; या

(दो) किसी अन्य प्रबंध के अधीन होते हुये शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(ख) "मण्डल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्र. 23, सन् 1965), की धारा (3) के अंतर्गत स्थापित माध्यमिक शिक्षा मंडल से है;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य—

(एक) उस प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक पाठशाला के मामले में जो उच्चतर माध्यमिक पाठशाला से संलग्न न हों, जिला शिक्षा अधिकारी से है;

(दो) अन्य मामलों में इससे तात्पर्य संभागीय शिक्षा अधीक्षक से है;

(घ) "अभिभावक" से तात्पर्य ऐसे किसी भी व्यक्ति से है जिसने अवयस्क बालक/बालिका की देखभाल या अभिरक्षा का दायित्व स्वीकार या ग्रहण किया हो;

(ङ) "मान्यता प्राप्त पाठशाला" का अर्थ वही होगा जो उसके लिये मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक 23, सन् 1965) की धारा 2 के खण्ड (अ) में दिया गया है।

3. आयु की घोषणा— ऐसा कोई भी माता-पिता या अभिभावक जो अपने प्रतिपाल्य बालक/बालिका को किसी अनुमोदित या मान्यता प्राप्त पाठशाला में पहली बार प्रवेश दिलाना चाहता हो, इन नियमों से संलग्न फार्म में लिखित रूप से संबंधित बालक/बालिका की जन्मतिथि की घोषणा करेगा, तथा उस पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर, संस्था के प्रमुख को देगा। यदि कोई माता-पिता या अभिभावक अनपढ़ हों तो घोषणा-पत्र पर माता-पिता या अभिभावक के अंगूठे का निशान लगाया जायेगा और उसे उस पढ़े-लिखे जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित किया जावेगा, जो कि उस पाठशाला का शिक्षक न

हो जिसमें कि प्रवेश चाहा गया है। घोषणा पत्र में बालक/बालिका की जन्म तिथि लिखित ब्रिटिश कलेण्डर की तारीख, माह तथा साल के अनुसार होगी। जब किसी माता/पिता या अभिभावक के लिए व्यक्तिगत रूप से इस घोषणा-पत्र को प्रस्तुत करना संभव न हो, तो वह ऐसा घोषणा-पत्र देने के लिये लिखित रूप से किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा।

4. **जन्म तिथि संबंधी प्रविष्टि**— (1) नियम 3 के अधीन घोषणा-पत्र में दी गई जन्म-तिथि पाठशाला रजिस्टर में संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर के अधीन दर्ज की जावेगी। किसी शिक्षा सत्र में इस प्रकार प्रस्तुत किये गये घोषणा-पत्रों पर सिलसिलेवार क्रमांक डाले जावेंगे और संस्था में स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखे जायेंगे।

(2) संस्था प्रमुख यह देखेगा कि जन्मतिथि सम्बन्धी घोषणा-पत्रों पर माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किये गये है यदि बालक/बालिका का पिता जीवित हो, तो सामान्यतः पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये वही समुचित व्यक्ति है, यदि वह जीवित न हो या, उससे सहज रूप में सम्पर्क स्थापित करना संभव न हो तो अभिभावक की निष्कपटता के बारे में संस्था प्रमुख को अपना समाधान कर लेना चाहिये।

(3) घोषणा-पत्र तथा प्रवेश रजिस्टर में अंकित जन्म तिथि की प्रविष्टियों पर किसी प्रकार का उपरिलेखन नहीं किया जायेगा। घोषणा-पत्र में सुधार माता-पिता या अभिभावक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर कर दिये जावेंगे तथा प्रवेश रजिस्टर में किये गये सुधार संस्था प्रमुख द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित किये जायेंगे।

(4) निरीक्षण प्राधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान पाठशाला रजिस्टरों में अंकित जन्म-तिथि संबंधी प्रविष्टियों की जाँच करेंगे।

(5) माता-पिता को अपने पुत्र या पुत्री की जन्म तिथि की प्रविष्टियों में गलती के संबंध में जो अभ्यावेदन करने का पर्याप्त अवसर मिल सके, इस दृष्टि से पाठशाला रजिस्टर में दर्ज की गई जन्म तिथि का उल्लेख विद्यार्थी की उन सभी प्रगति रिपोर्टों में किया जायेगा, जो संस्था प्रमुख द्वारा माता-पिता या अभिभावक को भेजी जाती है। पाठशाला के अभिलेखों में दर्ज जन्म तिथि के संबंध में माता-पिता या अभिभावक द्वारा की गई किसी भी पूछताछ का संस्था प्रमुख द्वारा तत्परता से उत्तर दिया जाना चाहिये।

5. **विद्यार्थियों का स्थानान्तरण**— विद्यार्थियों का एक शाला या संस्था से दूसरी शाला या संस्था में स्थानान्तरण होने पर विद्यार्थी की जो जन्म तिथि शाला त्यजन प्रमाण-पत्र में या स्थानान्तरण (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र में या शाला के अन्य अभिलेखों में अंकित है, वही जन्मतिथि नवीन शाला या संस्था के रजिस्टर में दर्ज की जावेगी।

6. **जन्म तिथि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बदली नहीं जा सकेगी**— नियम 3 के अधीन रजिस्टर में दर्ज, जन्मतिथि इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बदली या सुधारी नहीं जा सकेगी।

7. **त्रुटि में सुधार**— यदि माता-पिता या अभिभावक यह पाये कि विद्यार्थी के प्रथम प्रवेश के समय की गई घोषणा की तुलना में पाठशाला के अभिलेख प्रगति-रिपोर्ट या शाला की अन्य दस्तावेजों या रजिस्टर में उल्लिखित जन्मतिथि में कोई गलती है, तो वह गलती स्पष्ट करते हुये शाला प्रमुख को एक प्रार्थना-पत्र देगा। यदि ऐसी गलती लिपिकीय भूल के कारण हुई है, तो शाला प्रमुख माता-पिता या अभिभावक के मूल घोषणा-पत्र के अनुसार प्रविष्ट में सुधार करेगा तथा उसकी सूचना माता-पिता या अभिभावक को देगा।

8. जन्म तिथि संबंधी प्रविष्टियों में सुधार या परिवर्तन— (1) जब नियम 3 के अधीन दिये गये घोषणा-पत्र में पाठशाला रजिस्टर या शाला की अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों में दर्ज जन्मतिथि के संबंध में कोई सुधार या परिवर्तन वांछित हो, तो माता-पिता या अभिभावक संस्था प्रमुख को लिखित रूप से आवेदन करेगा, जिसमें मूल प्रविष्टि की असत्यता के सम्बन्ध से पर्याप्त साक्ष्य तथा त्रुटि के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण तथा कारण दर्शायेगा और आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजें प्रस्तुत करेगा, यथा :—

(एक) स्थानीय प्राधिकरण या चिकित्सालय अथवा प्रसूतिगृह या प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के रजिस्टर में जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति;

(दो) अपेक्षित सुधार या परिवर्तन के बारे में तथा माँ से पैदा हुये प्रत्येक जीवित या मृत बच्चे की सही जन्म तिथि के बारे में माता-पिता या अभिभावक द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष ग्रहीत शपथ-पत्र;

(तीन) सही जन्म तिथि दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजी साक्ष्य।

(2) आवेदन-पत्र के साथ चालान की प्रति लगाई जाये जिससे यह प्रमाणित हो कि शासकीय कोषागार में पाँच रुपये जमा कर दिये गये हैं।

(3) संस्था प्रमुख आवेदन-पत्र की जाँच स्वयं करेगा तथा अपनी रिपोर्ट के साथ उसे संबंधित सक्षम प्राधिकारी को निराकरण के लिये भेजेगा।

(4) आवेदन-पत्र तथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के उपरान्त, जो वह आवश्यक समझे, उसके बारे में अपना निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा तथा यदि उसका इस बात से समाधान हो जाए कि जन्मतिथि में सुधार या परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, तो वह इस आशय का अपना आदेश देगा और आवेदक को तत्काल उसकी सूचना देगा। जारी किये गये आदेश की एक प्रति संबंधित संस्था प्रमुख को भी भेजी जायेगी और संस्था प्रमुख तदनुसार पाठशाला के रजिस्टरों, दस्तावेजों या अभिलेखों में अंकित जन्म तिथि में सुधार करेगा।

9. जन्म तिथि में सुधार करने हेतु आवेदन-पत्र ग्रहण करने पर निर्बन्धन— शाला अभिलेखों में अंकित जन्म तिथि के सुधार करने हेतु नियम 7 तथा 8 के अधीन कोई भी आवेदन पत्र, उच्चतर माध्यमिक-स्तर की शिक्षा के अंत में मण्डल द्वारा संचालित परीक्षा के लिये फार्म भेज दिये जाने के पश्चात् या विद्यार्थी द्वारा शाला छोड़ दिये जाने के पश्चात्, ग्रहण नहीं किया जायेगा, यदि विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक-स्तर मान के अंत तक शिक्षा जारी न रखे।

आवेदन-पत्र (नियम 3 देखिये)

चूंकि मैं ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... अपने पुत्र/पुत्री/प्रतिपाल्य, जिसका नाम नीचे पैरा 2 में दिया गया है, का प्रवेश कक्षा ..... शाला ..... कराना चाहता हूं तथा जिसके लिये मैंने आवेदन-पत्र दिया है, और चूंकि उसकी जन्मतिथि पाठशाला के रजिस्टर में दर्ज की जानी है।

अतएव मैं, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे उक्त पुत्र-पुत्री/प्रतिपाल्य/श्री/कुमारी ..... की जन्मतिथि ..... दिनांक ..... माह 19..... है।

स्थान.....

दिनांक .....

.....

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (माता-पिता/अभिभावक)

मैं, ... एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है।

शासकीय अभिलेख में जन्म तिथि परिवर्तन करने पर दण्ड

[वित्त विभाग क्रमांक एफ.-ए.25/5/86/नि-1-चार, दिनांक 28-8-1986]

विषय:—जन्म तिथि में अनधिकृत रूप से परिवर्तन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही।

1. शासन के ध्यान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये है जिनमें विभागीय अधिकारियों द्वारा अनधिकृत रूप से कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में मूल रूप से अंकित जन्म तिथि में सुधार किया गया और इस कारण होने वाले वित्तीय लाभ भी संबंधित कर्मचारियों को दिये गये व उनकी सेवा-निवृत्ति तिथि में भी परिवर्तन हुआ।

2. इस संबंध में मध्यप्रदेश वित्त संहिता, भाग-1 के नियम, 84-85 में नियुक्ति के समय शासकीय कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि अंकित करने हेतु स्पष्ट प्रावधान है, जिसके अनुसार किसी भी शासकीय सेवक की एकबार अभिलेख की गई जन्म तिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसमें कोई स्पष्टतः त्रुटि न हो।

3. जन्म तिथि में अनधिकृत रूप से परिवर्तन करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के संबंध में वित्त विभाग के शासन क्रमांक 605/822/नि-1/चार, दिनांक 14-5-1979 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये है किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कतिपय विभागों/कार्यालयों में इन निर्देशों का सही रूप से पालन नहीं हो रहा है। अतः समस्त विभागों का ध्यान पुनः मध्यप्रदेश वित्त संहिता, भाग-1 के नियम 84-85 एवं वित्त विभाग के उपरोक्त शासन दिनांक 14-5-1979 की ओर आकर्षित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी अधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से जन्म तिथि परिवर्तन करने पर उसकी वजह से किसी कर्मचारी को जो वित्तीय लाभ इत्यादि दिये जाने से शासन को जो हानि होगी उसकी वसूली संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जायेगी। अतः कृपया आपके अधीनस्थ सभी अधिकारियों का ध्यान इन निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाकर उन्हें सजग रहने के निर्देश दिये जायें।

[वित्त विभाग क्रमांक 605/822/नि-1/चार/79, दिनांक 14-5-1979]

विषय:—जन्म तिथि परिवर्तन संबंधी मामलों पर वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने तथा जन्म दिनांक में अनावश्यक तब्दीली करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में।

महालेखाकार ने वित्त विभाग के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण लाये है जिनमें शासकीय कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में सेवानिवृत्ति के समय जन्मतिथियों में कट-पीट/परिवर्तन कर सुधार किया है, फलस्वरूप इन कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों के निपटारे में टाले जाने योग्य विलम्ब हुआ एवं इन प्रकरणों में नियमितीकरण (Regularisation) करने की दृष्टि से अधिवार्षिकी आयु बढ़ाये जाने पर नियुक्ति अवधि स्वीकार करने के कारण शासन को आर्थिक हानि भी हुई। इस संबंध में वित्त संहिता भाग-1 के नियम 84-85 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि अंकित करने संबंधी निर्देश दिये गये है। सेवा पुस्तिका में प्रथमबार अंकित जन्म तिथि, केवल लिपिकीय त्रुटि को छोड़कर अंतिम मानी जाती है एवं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। प्रतीत होता है कि विभागों/कार्यालयों में इन निर्देशों